

**पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र**  
**Certificate of Registered Document.**

श्री/श्रीमती/सुश्री अफरोज अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30-06-2023 के क्रम में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार प्रमाणित किया जाता है कि लेखपत्र जिसका विवरण निम्न है, को कार्यालय उपनिबंधक सदर जनपद आजमगढ़ के बही संख्या 4(विविध लेखपत्र) खण्ड/जिल्द संख्या 226 पृष्ठ संख्या- 73 से 132 क्रमांक 50 दिनांक 12-06-2023 को निबंधित / पंजीकृत किया गया है।

- लेखपत्र का प्रकार न्यास पत्र
- प्रथम पक्ष का नाम 1.श्री अफरोज अहमद
- द्वितीय पक्ष का नाम
- सम्पत्ति का विवरण सुबहान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट नयापुरा चक सिकठी, मुबारकपुर, आजमगढ़,0 हे/ वर्ग मी
- सम्पत्ति अवस्थिति सदर, आजमगढ़
- लेखपत्र में अदा स्टाम्प शुल्क रु० 1340/-
- लेखपत्र में अदा निबंधन शुल्क रु० 100/-

Jitendra  
Kumar Tiwari

Digitally signed by  
Jitendra Kumar Tiwari  
Date: 2023.07.05  
11:55:58 +05'30'

उपनिबंधक/ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
कार्यालय सदर जनपद आजमगढ़  
दिनांक 05-07-2023

50/023

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 401626



*Signature* 12.06.23

## सुबहान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

मुहल्ला-नयापुरा चक सिक्ती, पोस्ट-मुबारकपुर, तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़ उ०प्र०

यह न्यास विलेख आज दिनांक ११/०६/२०२३..... को तहसील सदर जिला आजमगढ़ में श्री अफरोज अहमद उम्र ३४ लगभग; पुत्र हाजी मोहम्मद अशहद, मुहल्ला-नयापुरा चक सिक्ती, पोस्ट-मुबारकपुर, तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़, उ०प्र० मो०नं० ६८३६६६८७८६ एवं आधार नम्बर-६००६ ०८२६ २५०१ द्वारा घोषित किया गया है। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा। क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक को पास रूपया ५१००/- मात्र की राशि है। जिसे पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा।

ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक कहा जायेगा, न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक की यह भी इच्छा है कि वह अपने विभिन्न श्रोतों से दान, अनुदान, उपहार, डोनेशन, ऋण, चन्दा आदि के द्वारा ट्रस्ट का कोष समृद्ध एवं साधन को और बढ़ाया जा सके। ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके, और न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक ने अपनी इच्छा के अनुसार रूपया ५१००/- नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

*Afroz Ahmad*

न० की-50/- श्री अफरोज अहमद / मैनेजिंग ड्रिली / प्रकाश  
सुबहान एजुकेशनल विलेजिंग ट्रस्ट मुहल्ला-  
नयापारा - पंच लिक्वी मुबारकपुर महाराष्ट्र  
जिला - (आजमगढ़)

9.

06/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

सं०-68

आरटी कचरी आजमगढ़





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 401627

-/२/-

क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय मुहल्ला-नयापुरा चक सिक्की, पोस्ट-मुबारकपुर, तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़, उ०प्र०, भारत वर्ष है, अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्य निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट १८८२ के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

- १- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत गानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व-प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्फेण्ट विद्यालयों, बालश्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, हरिजन विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, आंगनवाडी, बालवाडी, पुष्ताहार योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों, किसान महाविद्यालयों, चरवाहा विद्यालयों, बालिका विद्यालयों/महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन सम्पूर्ण भारत वर्ष में करने का प्रयास करना।

*Abno3 Ahmed*



न० २०५/५०१-२०१०-१

P.

06/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

सं०-०६

कलकत्ता कचरी अस्पताल



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

भारत

INDIA

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-३-

CL 401628

- २- ट्रस्ट द्वारा जनहित के विकास एवं उत्थान एवं कल्याण हेतु निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीडास्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों, बृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों, नारी निकेतनों, बालसंरक्षण गृहों, सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं, गुरुकुल आश्रमों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
- ३- बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।
- ४- विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का क्रय व वितरण करना तथा विकलांग जन अधिनियम (सहभागिता, संरक्षण एवं अधिकार) १९६५ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना।
- ५- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्ड वेयर, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर, इण्टरनेट, साइबर कैफे, सिलाई, कढ़ाई, कटाई, कताई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला, कम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, प्रेटींग, जरी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई, संगीत, नाट्य, बाद्य कला, नृत्य, मोटर ट्रेनिंग कालेज, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, ब्यूटीपार्लरों, फोटोग्राफी, ए०सी०, रेफ्रिजरेशन, फैशन डिजाइनर, एक्स-रे, टेक्नीशियन, लैब, पैयालोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मासकम्युनिकेशन, साफ्टट्वायज, नृत्यथियेटर, माडलिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्व ट्रेनिंग, प्रेस रिपोर्टर, प्रेस ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेन्ट एण्ड आफिस मैनेजमेन्ट, विजनेस डेवलपमेन्ट, ट्रेनिंग पेटिंग, आई०टी०आई०, बाम्बे आर्ट, पालिटेक्निक, स्पोर्टिंग क्लब आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

Rhooz Ahmad





# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-४-

CL 401629

- ६- जन विकास हेतु विचार गोष्ठियों, प्रवचन सभाओं, अध्ययन शिविरों, स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना तथा धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
- ७- नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना।
- ८- गरीब, हरिजन, विकलांग, मेधावी, निराश्रित, असहाय, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, बाल श्रमियों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।
- ९- पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना, प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों, पशु अस्पतालों, प्रदूषण जांच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
- १०- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ., सिडवी, अवार्ड, कपार्ट, नाबार्ड, नोराड, डूडा, सूडा, डवाकरा, अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वर्ण जयन्ती, स्वरोजगार, स्वजल धारा, सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना।
- ११- बालक/बालिकाओं, कलाकारों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमिनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन, संचालन करना तथा सफल बालक/बालिकाओं, कलाकारों को पुरस्कृत करना।
- १२- भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लॉक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास हेतु विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

*Ahmad*





# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES  
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

-५-

उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में समानुसार हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री कालेज एवं अल्प संख्यकी 30

- शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना।
- 94- मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरो, टीकाकरण शिविरो, पल्सपोलियो शिविरो, हेपेटाइटिस शिविरो, दवाखानों, चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
- 95- कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु भोमबतती, अगरबत्ती, दिया सलाई, वाशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, अचार, मुरब्बा, चिप्स, चाकलेट, नमकीन, विस्कुट, नील, चाय, कागज की कप, प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
- 96- समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज, बाल विवाह, नशा, शराब, गांजा, अफीम, भांग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरो एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
- 97- गांवों का विकास करना तथा गांवों में निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, सफाई, पेयजल तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में लाने हेतु 900 प्रतिशत मतदान कराना व भारत के हर नागरिक को पहचान पत्र दिलाने का प्रयास करना तथा भारत को स्वच्छ एवं शक्तिशाली देश बनाने का प्रयास करना।
- 98- गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ०सी०आर०ए०, ३५ए०सी० १ व १ की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा इसके अन्तर्गत इंटरनेशनल गेटवे एकाउन्ट संचालित करने का प्रयास करना एवं भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित / परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना।

*Abroz Ahmad*



नं- 5 की 501. 2023-1

2.

06/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

सं०-68

कानूनी सचिवी आयोग



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-६-

CL 401631

- १६- कस्तूरबा गांधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना।
- २०- युवाओं की मांगों को सरकार तक सद्भाव पूर्वक पहुँचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागृकता पैदा करने का प्रयास करना।
- २१- दैवीय आपदा यथा बाढ़, सूखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय लोगों की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, दवा इलाज, आवास, वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।
- २२- वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना, देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा इसके प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय, भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन विभागीय अनुमति से करना तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार-प्रसार करना।
- २३- कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।


*Ahmed*



नं० 6 की 591- खा०-१०-१

  
06/06/2023

**दीपक कुमार गुप्ता**  
ख०-०-68  
कानूनी सचिवी अजमेर



# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-७-

CL 401632

- २४- स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना।
- २५- स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच व परीक्षण कराना एवं समय समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना , कन्या, भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना।
- २६- युवक व युवतियों में समाज सेवा, देश सेवा, ग्राम सेवा, सदाचार, कर्तव्य सहायता, सद्भाव आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाईचारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना।
- २७- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, एड्स, कैसर, टी०बी०, चेचक, आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधायें विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।
- २८- सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना तथा विश्व में भारत की पहचान बनाना एवं भारत को विश्वगुरु बनाने का प्रयास करना।
- २९- गाँवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों, जन जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालयों बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह जगह निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, पेयजल सफाई आदि की व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना।

*Muhammad*



नं-7 की 501. 20-50-1

2.

06/06/2024

दीपक कुमार गुप्ता  
सं०-66  
कचहरी कचहरी अजमेर



\_\_\_\_\_



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-८-

CL 401633

- ३०- स्वास्थ्य, राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा यूनानी, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना।
- ३१- औषधि कार्यों के लिए जड़ी बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना, आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनके गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताना तथा जल संरक्षण, जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- ३२- गरीब, असहाय, निराश्रित, बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना।
- ३३- कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकी यंत्रों, खादों, बीजों, कीटनाशक दवाओं, ऊसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- ३४- जेटोफर (डीजल का पौधा) सागौन का पौधा, रतन जोत पौधा, सफेद मुसली आदि की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं जेटोफर के वृक्ष की लगवाने का प्रयास करना।
- ३५- जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना तथा जीव - जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दयाभाव पैदा करने का प्रयास करना।
- ३६- युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना तथा आध्यात्मिक व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।

*Ahmed*



नं-80/51-1

9.

06/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

खं-0-68

कचहरी कचहरी अजमेर



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

भारत

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-/६/-

CL 401634

- ३७- जेटोफर के बीजों का किसानों को उचित मूल्य दिलवाने एवं उसका क्रय-विक्रय करने का प्रयास करना तथा ट्रस्ट के विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
- ३८- भारत व विश्व में योग के माध्यम से संयम एवं सदाचार का भाव जागृत करने का प्रयास करना तथा समाज में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना।
- ३९- स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना तथा स्वदेशी खान-पान रहन, सहन, दवा, इलाज, कपड़ा व स्वदेशी शिष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करना।
- ४०- कृषि क्षेत्र में लोगों को स्वदेशी जैविक खादों के प्रयोग में लाने की सलाह देना तथा स्वदेशी जैविक खादों के निर्माण की विधि को लोगों को बताना व स्वदेशी जैविक खाद को बनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना।
- ४१- कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- ४२- यूनानी, आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण करना व करवाना एवं उनकी देख-रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार-प्रसार करना तथा जगह-जगह निःशुल्क यूनानी, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, शिविरो, दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- ४३- संस्था विकास हेतु आयकर अधिनियम की धारा १२ (ए) एवं ८० जी (५) की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना।

Ahmed



नं० १०१५०१-सा०-१

७,

06/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

सा०-०६६

कानपुरी कचहरी अजमेर



# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-१०-

CL 401635

- ४४- ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना तथा उसकी बाउन्ड्रीवाल तैयार कराने का प्रयास करना।
- ४५- पर्यटनल को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा पर्यटन स्थलो की देख-भाल व सुरक्षा करने का प्रयास करना, तथा देश - विदेश से आये आगन्तुकों के लिए विश्रामकक्षों, भोजन, दवा, इलाज, वस्त्रादि का प्रबन्ध करने का प्रयास करना।
- ४६- हरिकान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- ४७- ग्रामीण कृषकों के समस्याओं को हल कराने का प्रयास करना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कृषि योजनाओं को ग्रामीण कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- ४८- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध पुरुष महिला जो असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख-रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए कार्य करना।
- ४९- भूमि भवन आदि का निर्माण व क़य-विक़य (प्रापर्टी डीलर) व ठेकेदारी आदि से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करना।
- ५०- किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी राष्ट्रीय बैंक से ऋण, अनुदान आदि प्राप्त करना या किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यमंत्री, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विदेशी सरकार आदि से सहायता दान, चन्दा, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना।

*Alfroz Ahmad*



नं० 10 की 51-सं० 2-1

2.

06/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

नं० 10-68

कलकत्ता कचहरी अजमेर

Page 13

13

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



INDIA

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-99-

CL 401636

- ५१- विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अन्तराष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करने का प्रयास करना।
- ५२- मेडबन्दी, भूमि समतलीकरण एवं अन्य कृषि वानिकी को प्रोत्सवाहन देना तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- ५३- दलहनी, तिलहनी व अन्य सभी फसलों के सुरक्षा हेतु कटीले बाड़ों से खेत को चारों तरफ से घेरवाने का प्रयास करना तथा उनसे होने वाली सुरक्षा के बारे में किसानों को अवगत कराने का प्रयास करना।
- ५४- सिंचाई संसाधन का विकास करना तथा वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु किसानों को जागरूक करना।
- ५५- सिक्वोरिटी गार्डों को प्रशिक्षण देना, तथा सशस्त्र सिक्वोरिटी गार्ड, डंडामैन, गन मैन, लेबर, कर्मचारी आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- ५६- पशु चिकित्सालयों व पशु सेवा सदनों की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- ५७- मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा २६ व ३० के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करना।

*Ahroz Ahmad*



म०॥की॥५॥-२२०००१


७

०६/०६/२०२३

दीपक कुमार गुप्ता

ख०००-६६

कानपुर कपहरी अजमेर



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

भारत

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 401637

-१२-

- ५८- मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुये मदरसो,मकतबों,तहतानियां, फौकानियां, आलिया, हाफिज, कारी, मुन्शी, मौलव, कामिल, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, निश्वा मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयो, महाविद्यालयो की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- ५९- परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध बीहड़ एवं बंजर (कृषि एवं अकृष्य भूमि) अनुपजाऊ/कम उपजाऊ भूमि को भूमि सैनिको / लाभार्थी कृषको द्वारा सुधार करना।
- ६०- ऊसर,बीहड़ एवं बंजर भूमि को सुधार कर कृषि उत्पादन योग्य बनाना।
- ६१- फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि बागवानी एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्य करना।
- ६२- जल भराव क्षेत्रों का उपचार कर फसलो,उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- ६३- किसानो की माली हालत सुधारने का प्रयास करना तथा मूल्यवान पौधे यथा शागून,शाखू , शीशम, आदि का रोपण करवाना एवं उरोंके खरीद फरोख्त करना।
- ६४- अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,दलित,कमजोर, एवं पिछड़े वर्ग के मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे लघु एवं सीमान्त कृषको, भूमिहीनो, मजदूरो एवं ग्रामीण दस्तकारों को स्वरोजगार में लगाने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयास करना।
- ६५- जल संरक्षण, जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगो को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- ६६- भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के नियमानुसार कार्य करना।

Afroz Ahmad



नं०/२५/२०१/२०२३-१



04/06/2023

**दीपक कुमार गुप्ता**

साल-०६६

कसबती कचहरी अजमेर

पृ. १०३

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



*[Faint signature or text at the bottom of the page]*

# भारतीय गैर न्यायिक



-१३-

उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अनुसार कार्य करना तथा जीव जन्तु हेतु समस्त श्रृंखला के अंगों का संरक्षण करना।

- ६८- जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आवेदन करना तथा सहायता प्राप्त कर उन्हें भौतिक रूप से क्षेत्र में लागू करना तथा जीव जन्तुओं की रक्षा करने का प्रयास करना।
- ६९- चयनित क्षेत्र के कृषकों को भूमि सैनिक के रूप में चयन करना तथा भूमि सैनिकों को एक सुसंगठित क्रियाशील समूह के रूप में गठित करना।
- ७०- कृषि के उन्नतिशील का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देकर भूमि एवं जल संरक्षण उद्यानीकरण/कृषि वानिकी आदि कार्यों को अपनाकर आय में वृद्धि करना।
- ७१- जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना।
- ७२- जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दयाभाव पैदा करने का प्रयास करना।
- ७३- हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार-प्रसार करना।
- ७४- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीणों के आर्थिक नैतिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास करना।
- ७५- गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर, आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रयान्वयन द्वारा विकास करना।
- ७६- खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आनुवांशिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक व आध्यात्मिक पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन एवं संचालन करना व समय-समय पर जनहित के लिए व पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ/हवन करना व करवाना तथा राष्ट्रहित एवं विश्वहित के लिए अलग अलग संगठनों का निर्माण करना एवं इन्हें संचालित करना।

Afroz Ahmad



2012 की 501- राशियां

2.

06/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता  
खाना-66  
कलकत्ता कपडगी अजमल



# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-98-

CL 401639

- ७७- परियोजना क्षेत्र के भूमिहीन खेतिहर भूमि सैनिकों को कार्य हेतु भूमि का आवंटन कराकर खेती योग्य बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ७८- किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों आयोग/अथवा राज्य मण्डल और अथवा संस्था/और/अथवा/संघ/राज्य सरकार से चन्दा, दान, अनुदान, वसीयत, डोनेशन, उपहार और धरोहरो आदि को प्राप्त करना अथवा स्वीकार करना।
- ७९- ट्रस्ट द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर किसी भी भूमि भवन, सूबाधारी तथा चल और/अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, क्रय-विनिमय, किराये या पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना।
- ८०- मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख-रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेर-फेर, विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्तित अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश, नाली, फर्नीचरों, जूड़नारों, यंत्रों, उपकरणों, संधित्रों, से सुसज्जित और प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित है। उपयोग के लिए अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना।
- ८१- ट्रस्ट से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल) है का क्रय-विक्रय, प्रबन्ध, हस्तान्तरण, विनिमय, बंधक, डिमाइस, पट्टा अथवा किराये पर देना, निस्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहार करना।
- ८२- ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित/या सहित अथवा बंधक प्रभार, भाराकान्ति या गिरवी रखना।
- ८३- ट्रस्ट की सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए शाखाएँ खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।
- ८४- ट्रस्ट की किसी भी गतिविधियों की उपलब्ध के लिए प्रशासनिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना।

Afroz Ahmad



न० १५०५/५८. आ० न० १/

P.

06/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

सं०-६६

कचहरी करहरी आजमगढ़



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-१५-

CL 401640

- ८५- ट्रस्ट के लाभ का उपयोग ट्रस्ट के लक्ष्यों को पूरा करने में किया जायेगा और उसे मुख्य ट्रस्टी /न्यासकर्ता अपने उपयोग में ले सकता।
- ८६- केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उ०प्र० खादी कमीशन के पैटर्नानुसार खादी वस्त्रों एवं खादी कच्चे धागो का निर्माण करना तथा इसके लिए लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन करके वेरोजगार लोगों को वस्त्र बनाने व बेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।
- ८७- खादी का प्रचार प्रसार करना तथा इसके निमित्त लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन, केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण, अनुदान, दान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसका उपयोग संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।
- ८८- केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था विकास में कार्य करना।
- ८९- ट्रस्ट के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए बैंक/बैंको में खाता/खाते खोलना तथा लेन देने अथवा जैसी भी आवश्यकता जो बैंक / बैंकों के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना।
- ९०- निर्धन एवं कजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करना।
- ९१- कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना।
- ९२- क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योग तथा सेवाओं की विकास की योजनाएँ बनाना तथा कार्यक्रम चलाना।

*Ahmad Ahmad*



नं० 15 की 501. खण्ड-1


P.

05/06/2025

दीपक कुमार गुप्ता

सॉन-66

कलकत्ता कचहरी अजमगढ़



# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-१६-

CL 401641

- ६३- क्षेत्र के समग्र विकास के परिपेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी कमीशन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवृत्तियों एवं पैटर्न के अनुसार मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना व विकास की योजना बनाना तथा खादी ग्रामोद्योग तथा अन्य ग्रामीण उद्योग (रूरल इन्डस्ट्रीज) के विकास / प्रसार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ६४- मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज की सप्लाई करने का प्रयास करना।
- ६५- मत्स्य पालन हेतु तालाबो, पोखरो आदि का पट्टा लेना तथा उसमें मत्स्य पालन कर देश व जनता के विकास करने हेतु प्रयास करना।
- ६६- मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना तथा इस निमित्त व्यवसाइयों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
- ६७- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तालाबों व पोखरो की साफ-सफाई व जीणोद्वार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना।
- ६८- मत्स्य पालकों में उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना।
- ६९- मत्स्य बीज का उत्पादन करना व मत्स्य पालकों में निःशुल्क वितरण करना।
- १००- मत्स्य विकास में चलाई जा रही सभी योजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना।
- १०१- समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, बी०एल०एड०, सी० पी० एड०, यू०टी०सी०, एल०एल०बी०आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
- १०२- उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों, तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- १०३- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों, आई०सी०एस०ई० विद्यालयों, इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना।

*Proz Ahmad*



नं० 16 की 50/- २०००/

P.

06/06/2021

दीपक कुमार गुप्ता

साल-68

कचहरी कचहरी आजमगढ़



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-99-

CL 401642

- 908- पैरामेडिकल कालेज के अन्तर्गत नर्सिंग होमो, फार्मसी, पैथालाजी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमिटी, नर्स आदि प्रशिक्षण केन्द्रो तथा मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजो विश्व विद्यालयो आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- 909- गो पालन एवं पशु पालन के माध्यम से भारत राष्ट्र को सुखी सम्बृद्धिशाली सशक्त तथा सम्पन्न बनाने का प्रयास करना।
- 906- गोवंश एवं कृषि के उपयोगी पशुधन को बच से बचाने का प्रयास करना।
- 907- सम्पूर्ण गोवंश को कसाईयो एवं गोवंश तस्करी से छुड़ाने का प्रयास करना।
- 908- तस्करो एवं कसाईयो से छुड़ाये गये गोवंश एवं पशुधन को अपने अभिरक्षा में लेकर उनका भरण-पोषण एवं सेवा करने का प्रयास करना।
- 909- गोवंश से सभी सम्बन्धित मुकदमो की पैरवी करना तथा तस्करो को कठोरतम दण्ड दिलाने का प्रयास करना।
- 910- गोवंश विकास योजना के माध्यम से बेकारी समस्या का निदान करना, जिसमें महिला दुग्ध उत्पादक योजना भी समाहित करने का प्रयास करना।
- 911- पंच गव्य (गाय का दूध, दही, गोमूत्र, गोबर, गोघृत) से सभी प्रकार की औषधियों का निर्माण करना तथा गोबर से अगरबत्ती, साबुन, दंत मंजन, पाउडर आदि का निर्माण करने की सही व उचित राय देने का प्रयास करना।
- 912- उत्तम जाति के साड़ो के माध्यम से गोवंश विकास करके अधिक दूध देने वाली जाति की संतानों को उत्पन्न करने का प्रयास करना।
- 913- गोमांस एवं मांस निर्यात पर विशेष ध्यान देकर मांस निर्यात रोकने का हर प्रकार से प्रयास करना।
- 914- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आई०टी०आई०, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजो, मेडिकल कालेजो, आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

*Ahmad*



नं० 17 की 501- रा० 66/1

P.

06/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

रा० नं०-66

बलरघरी कानूनी अजमावत



दीपक कुमार गुप्ता

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-१८-

CL 401643

- ११५- पर्यावरण पारिस्थितिकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को संचालित करना व करवाना तथा ग्रीन इण्डिया एवं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जनजागसूकता फैलाने का प्रयास करना।
- ११६- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों, आई०सी०एस०ई० विद्यालयों, इन्दिरा गांधी मुक्त विश्व विद्यालयों, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालयों, आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना तथा दूरस्थ शिक्षा आदि का प्रबन्ध करना एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर शिक्षा के विकास हेतु कार्य करना।
- ११७- समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अन्यविश्वासों से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने व करवाने का प्रयास करना।
- ११८- कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।
- ११९- बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित-प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।
- १२०- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, काला आजार, डेगू बुखार, चिकन गुनिया, जापानी इन्सेफलाइटिस, फाइलेरिया, क्षय रोग, रजित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग, निरारानी कार्यक्रम, कैंसर, टी.बी., चेचक, गिनी, कृमियाज, आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधायें विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।
- १२१- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब, असहाय, लोगों को भोजन, चिकित्सा, आवास, वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना।
- १२२- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बौद्ध विहार स्थापना व संचालन करना तथा पुराने बौद्ध विहारों की देख-भाल, सुरक्षा तथा जीर्णोद्धार आदि से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करना।

*Ahmad*



नं० 18 की 501. सा०-२०-१

2.

6/6/28

दीपक कुमार गुप्ता

सं०-68

फरवरी कपारी अजमेर



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-१६-

CL 401644

- १२३- बालक/बालिकाओं, खिलाड़ियों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय समय पर खेलो, सेमीनारो, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन, संचालन करना तथा सफल बालक/बालिकाओं को पुरस्कृत करने का प्रयास करना।
- १२४- गांवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालो, जनजागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों के घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह जगह निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना।
- १२५- गरीब असहाय, निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक-पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- १२६- विभिन्न प्रकार के खेलों का विकास करना तथा इस निमित्त निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- १२७- किसानों को कृषि विकास से सम्बन्धित जानकारी देना तथा उनके लिए समय समय पर किसान सेमिनारो, विचार गोष्ठियों, प्रदर्शनियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, किसान मेलो, आदि का आयोजन, संचालन करना तथा सफल किसानों को पुरस्कृत करने का प्रयास करना।
- १२८- किसानों के विकास में आने वाली कृषि समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना तथा मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानों मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना।

*Abroz Ahmad*





# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-२०-

CL 401645

द्रष्टियों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद जिन्होंने ट्रस्ट के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

| क्र०सं० | नाम                          | पिता/पति का नाम        | पता  | पद                             |
|---------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| १-      | शहीद जमाल                    | श्री हाजी मुहम्मद अशहद | मु०-नयापुरा चक सिक्की, पोस्ट-मुबारकपुर,<br>तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़। | अध्यक्ष                        |
| २-      | श्री गुफरान अहमद             | श्री हाजी मुहम्मद अशहद | "  | उपाध्यक्ष                      |
| ३-      | श्री अफरोज अहमद              | श्री हाजी मोहम्मद अशहद | "  | मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव |
| ४-      | श्री सुश्री सना परवीन पुत्री | श्री हाजी मोहम्मद अशहद | "  | उपप्रबन्धक/उपसचिव              |
| ५-      | श्रीमती जेबा शाहीन           | श्री अफरोज अहमद        | "  | कोषाध्यक्ष                     |
| ६-      | श्रीमती सुफिया खातून         | श्री गुफरान अहमद       | "  | सदस्य                          |
| ७-      | श्रीमती शहिन्दा जलाल         | श्री शहीद जमाल         | "  | सदस्य                          |
| ८-      | श्रीमती आबिदा खातून          | श्री हाजी मुहम्मद अशहद | "  | सदस्य                          |
| ९-      | श्रीमती सायमा खातून          | श्री जावेद असलम        | मु०-ईदराबाद, पो०-मुबारकपुर, आजमगढ़।                                | सदस्य                          |
| १०-     | श्रीमती अफसाना खातून         | श्री शमीम अख्तर        | मु०-तालचौक, पो०-मुबारकपुर, आजमगढ़।                                 | सदस्य                          |
| ११-     | श्री शमीम अख्तर              | श्री हाजी अनसार        | "  | सदस्य                          |
| १२-     | श्री जावेद असलम              | श्री हाजी यकील         | मु०-ईदराबाद, पो०-मुबारकपुर, आजमगढ़।                                | सदस्य                          |
| १३-     | प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक  |                        | विद्यालय   | पदेन सदस्य                     |
| १४-     | सहायक अध्यापक                |                        | "  | "                              |
| १५-     | सहायक अध्यापक                |                        | "  | "                              |

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण उपरोक्त ट्रस्ट को ट्रस्ट रजि० ऐक्ट १८८२ के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।  
दिनांक - हस्ताक्षर-

*Afroz Ahmad*



न०२० की०५०१ - खा० न० - १


(२)

०६/०६/२०२३

दीपक कुमार गुप्ता

सॉन-६६

कलरही कचहरी अजमेर



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-२१-

CL 401646

## प्रारम्भिक उपबन्ध (नियम) :-

- वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक १२/०६/१९३३.....से श्री अफरोज़ अहमद पुत्र श्री हाजी मोहम्मद अशहद जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट डीड का मैनेजिंग ट्रस्टी यानी प्रबन्धक स्वीकृत किया जाता है।
- यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक श्री अफरोज़ अहमद पुत्र श्री हाजी मोहम्मद अशहद द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित किया जाय तो उनके पश्चात् उनके योग्य पुत्र/पुत्री जो कि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे। यदि उनके योग्य पुत्र/पुत्री बालिग न हो तो उनकी पत्नी इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होगी जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।
- वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे, अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों या किसी को स्थानान्तरित कर सकता है।
- यदि श्री अफरोज़ अहमद पुत्र श्री हाजी मोहम्मद अशहद के निधन के समय उनके बच्चे नाबालिग हो तो उनकी ओर से उनकी पत्नी को मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक कार्य तब तक सम्भालना होगा जब तक कि उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।
- मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें यदि ट्रस्ट में किसी भी विन्दु का संशोधन करना है तो इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्टाम्प पर उक्त संशोधन टंकित कर रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वयं उपस्थित होकर संशोधन कराने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक को होगा तथा ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह भी अधिकार होगा कि वह स्टाम्प पेपर पर प्रबन्ध समिति का गठन कर उसे रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करा लें। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गयी रजिस्ट्री/वसीयत ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

*Afroz Ahmad*



नवम्बर २०२३/५१/२०२३-१

*(Handwritten signature)*

06/06/2023

**दीपक कुमार गुप्ता**  
ला०-६६  
कचहरी कचहरी अजमेर



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

भारत

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 401766

-२२-

- ६: यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकेगा।
- ७: कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है, जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।
- ९: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो नियमों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, कालेजों, महाविद्यालयों के लिए मैनेजिंग कमेटी (उपसमिति) मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक द्वारा गठित की जायेगी, जो इण्टरमीडिएट एजुकेशनल ऐक्ट के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/ सचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष तथा सात सदस्य व तीन पदेन सदस्य होंगे, जिनकी कुल संख्या-१५ होगी।
- २: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा पर निर्भर करेगा तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी ट्रस्टी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये उसका ट्रस्टी का पद समाप्त कर सकता है।
- ३: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक बुला सकता है। जिसकी अध्यक्षता स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ही करेगा।

*Muoz Ahmad*



क्र. की 501- श्री अकरोण अहमद / मैनेजिंग ड्रव्ही / प्रवक्ता  
सुबहान रजिस्ट्रेशन वेलफेयर ट्रस्ट मुम्बई -  
नशाडा - ७५ लिंकरी मुम्बई - ४००-२५३  
पेपल - ४११५५०६१  
ता ०१/२१/०६/२०२३

१

१२/०६/२३  
श्री अकरोण अहमद  
कर्मचारी संघ  
मुम्बई



# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 401767

-२३-

- ४: बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- ५: बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना, पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अन्तिम निर्णय होगा।

### मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्यकाल एवं सुविधायें :-

- १: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं यहां की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर पर सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- २: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आय कर लगाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान करेगा, ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ३: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने पद पर आजीवन बना रह सकता है। उसके न रहने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक से ब्लड (खून) का रिस्ता रखने वाला ही मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होगा।
- ४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जबभी चाहे वह ट्रस्ट का नाम व पता परिवर्तित कर सकता है।

### कार्यक्षेत्र

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष सहित सम्पूर्ण भारत होगा, सामाजिक उत्थान हेतु भारत के किसी भी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं उपहार, अनुदान, दान, चन्दा, ऋण, उपहार, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व सलाह दे सकता है।

*Ahmed Shrad*

क्र० २५१५०/- सा० २०२०-१

१

14/06/2023  
दीपक कुमार गुप्ता  
सं०-०६  
पुस्तक फंडिंग अभियान



दीपक गुप्ता

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50

भारत

FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 401768

-२४-

## मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का विशेषाधिकार :-

- १: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्ताक्षेप कर निरस्त / स्वीकृत / अस्वीकृत, संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के कार्यकलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार्य होगा।
- २: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है।
- ३: ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय-विक्रय (बेचने व खरीदने) का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।  
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष, सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार :-
- १: मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक ट्रस्ट के लिए प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए उक्त पदों की नियुक्ति कर सकता है।
- २: उक्त पदों के वेतन भत्ते, सुविधायें, कार्यनियम मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक निश्चित करेगा।
- ३: उक्त व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुग्रह तथा प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बतायें, उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक, अनुशासनान्तात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित / प्रदान कर सकता है।

*Alfroz Ahmad*



नपुं०की 50/1. अं० २०-1

७

12/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

सं०-68

कलकत्ता कचहरी अजमेर



दीपक कुमार गुप्ता

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

भारत

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 401769

-२५-

- ४: उक्त पदों के सृजन हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक उचित समझे तो दस रुपये के स्टैम्प पेपर पर उक्त लोगों के नाम, पिता/पति का नाम, पता व पद को टंकित कर रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित कर सकते हैं।
- ५: इण्टरमीडिएट एजुकेशनल ऐक्ट के अनुसार मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो अपने विवेकानुसार एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों का पद सृजन कर सकता है। इनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा। लेकिन ट्रस्टी प्रबन्धक जब भी चाहे अथवा एक वर्ष बाद इनके कार्यों से सन्तुष्ट हो तो इन्हें पुनः उसी पद पर रख सकता है अथवा असन्तुष्ट होने पर उनको उक्त पद से जब भी चाहे हटा सकता है।

### मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य:-

- १: बोर्ड आफ ट्रस्टी के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
- २: ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करना।
- ३: ट्रस्ट के अन्तर्गत उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन परिवर्तन करके रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत कराना एवं उसे मान्य करवाना तथा आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति का क्रय - विक्रय करना।
- ४: ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय व कार्य करना।
- ५: ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

*Afroz Ahmad*



20497/501-2022-50-1



12/06/2022

दीपक कुमार गुप्ता

खान-08

कलकत्ता इकाई अजमेरा

Page 20

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten signature or name in blue ink at the bottom of the page.

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 401770

-२६-

- ६: ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्ति तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना।
- ७: विभिन्न कार्यकलापो एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोषो/विभागों/केन्द्रों/ संस्थाओं/ उपसंस्थाओं का गठन करना, उनके संयोजकों/निवेशकों पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना।
- ८: ट्रस्ट को प्राप्त किसी भी शिकायत पत्र की जाँच कर निर्णय देना।
- ९: एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना।
- १०: ट्रस्ट के प्रचार /प्रसार /मुद्रण /प्रकाशन / वितरण/ विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

### खाता संचालन की व्यवस्था

- १: ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत या मान्यता प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था अथवा पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खोला जायेगा। जिसका संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।
- २: ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/ केन्द्र/कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय के नाम से बैंक खाता संचालित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही खाते का संचालन किया जायेगा।

### विधिक कार्यवाही

यदि ट्रस्ट की ओर से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्ति होगा एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं अथवा ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी/सदस्य द्वारा किया जायेगा।

*Afroz Ahmad*



न०५ की 50/- खात न० -/

2044-2

8

12/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

ख०-०-००

कनकपुरी कचहरी अमरकान्त



दीपक कुमार गुप्ता

# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -२७-

58AE 527647

## सम्पत्ति सम्बन्धित

- १: ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्टी वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक व्यक्ति को प्राप्त होती हैं।
- २: ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख-विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
- ३: ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत होगा।
- ४: ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, संस्थान, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, अथवा विदेशी सरकार से ऋण, दान, अनुदान, उपहार, चन्दा, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त व प्रदान कर सकता है।
- ५: ट्रस्ट अपनी आय को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। किसी भी संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में अपनी आय को विनियोजित कर सकता है।
- ६: चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क़य, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भाराकान्ति विनियोजित आदि कर सकता है, तथा ले अथवा दे सकता है।
- ७: ट्रस्ट के स्थापना के समय ट्रस्ट के नाम से कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

*Afroz Khanad*



आवेदन सं०: 202300966005752

506/101-एफ-1

9

न्यास पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 50

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 5/00 स्टाफ शुल्क- 1340 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 पोग : 240

दीपक कुमार गुप्ता

सं०-68

श्री अफरोज अहमद, कचहरी आज़मगढ़

पुत्र श्री हाजी मोहम्मद अणहद

व्यवसाय: अन्य

निवासी: सा० मु० नयापुरा बक सिकड़ी, पो० मुबारकपुर, तह० सदर, जिला आज़मगढ़

Afroz Ahmad



ने यह लेखपत्र इस कार्यलय में दिनांक 12/06/2023 एवं 03:03:49 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजीत कुमार श्रीवास्तव प्रभारी  
उप निबंधक :सदर  
आज़मगढ़  
12/06/2023

जरमिन्द कुमार सिंह  
निबंधक लिपिक  
12/06/2023

प्रिंट करें



# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -२८-

58AE 527648

## अतिरिक्त नियमों का समावेश :-

(अतिरिक्त नियमों का समावेश) निम्नलिखित नियमों का समावेश ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु किया गया है।

- क: विद्यालय के पंजीकृत ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन होगा।
- ख: विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- ग: विद्यालय में कम से कम 90 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- घ: ट्रस्ट के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

*Ahmad*



1

वकील सं.: 171-612025

रजिस्ट्रेशन सं.: 50

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी  
**दीपक कुमार गुप्ता**

श्री अंजुम अहमद, पुत्र श्री हाजी मोहम्मद अशाहद  
निवासी: सां नयापुरा चक सिकती, पो० मुबारकपुर, तह० सदर,  
जिला आजमगढ़

व्यवसाय: अन्य

*Ajuz Ahmad*



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री अन्सार नेयाजी, पुत्र श्री सलाहुद्दीन

निवासी: सां हैदराबाद कस्बा व पो० मुबारकपुर, तह० सदर, जिला  
आजमगढ़

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

*Ansaar Neeraj*



श्री सैयद कबीरुल्लाहक, पुत्र श्री सैयद ज्वाउल्लाहक

निवासी: सां गजहडा पो० सठियाँव, तह० सदर, जिला आजमगढ़

व्यवसाय: अन्य

*Sayad*



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

अजीत कुमार श्रीवास्तव प्रभारी

उप निबंधक : सदर

आजमगढ़

12/06/2023

अश्विन्द कुमार सिंह

निबंधक लिपिक आजमगढ़

12/06/2023

ने की। प्रात्यक्षत-भद्र साक्षियों के निश्चान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।  
टिप्पणी:



# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

58AE 527649

-२६-

- ड.: कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- च: राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे ट्रस्ट उनका पालन करेगा।
- छ: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- ज: उपरोक्त शासन के नियम / प्रतिबन्ध क्रम संख्या क से ज तक हमें स्वीकार है। उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन / संशोधन नहीं किया जायेगा।

## -:विशेष:-

- १: इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित / कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक-पृथक रूप से कमेटियों का गठन किया जायेगा।
- २: नियम/उपनियम आदि बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट के उद्देश्यों व नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम / उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हैं।

*Alfroz Ahmad*



ज०४२/१०/१. अं० २०-१  
आवेदन सं०: 202300966005752

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 226 के पृष्ठ 73 से 132 तक क्रमांक 50 पर दिनांक  
12/06/2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

दीपक कुमार गुप्ता

सं०-68

कलकत्ता कपडारी अजमगढ़

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजीत कुमार श्रीवास्तव प्रभारी

उप निबंधक : सदर

अजमगढ़

12/06/2023

प्रिंट करे



# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

58AE 527650

-३०-

३: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो किसी भी परिस्थिति में इस ट्रस्ट / डीड के किसी प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधानों के होते हुये भी अन्यथा निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी। ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित सभी उद्देश्यों एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, पारित, आत्म समर्पित है, तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर समझकर संचालित करने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर बना दिये हैं।

दिनांक १२/०६/२२

१:हस्ताक्षर साक्षी/गवाह :-

*Aneez*  
SALAMUDDIN MOHAMMAD  
2: BAO MUNARAPUR  
DIST- AZAMGARH

*Sayed*  
S/O

Sayed Zayaul Haque

Vill - Caejhara, Post - Sathin  
Dist - Azamgarh



*Afroz Ahmad*

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक

का हस्ताक्षर-

(अफरोज़ अहमद)

पुत्र श्री हाजी मोहम्मद अशहद

मुहल्ला-नयापुरा चक सिक्की, पोस्ट-मुबारकपुर

तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़, उ०प्र०।

माहिदगी कर्ता

*Afroz Ahmad*

दस्तावेज लेखक का नाम सोनू कुमार

अनुमति सं०.०२/२७/०२४...तक विधान्य

जिला और स्थान सदर, आजमगढ़

सी गयी फीस...१००/-

लेखक के हस्ताक्षर...*Sonu Kumar*



नमो भगवते वासुदेवाय

2  
12/06/2023

दीपक कुमार गुप्ता

1 घण्टा-68

कंसवटी कचहरी अजमेर

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



25/06/23

उत्तर प्रदेश सरकार  
अजमेर जिला  
कंसवटी कचहरी  
अजमेर